[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

# अधिसूचना संo. 14/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा सा.का.नि. संख्या 691(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं0. 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

## उक्त अधिसूचना में, -

### (i) तालिका में, -

- (क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"</b> 9घ	अध्याय	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक	कुछ	कुछ नहीं ";
	99	विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के	नहीं	
		लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने		
		निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को		
		केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर		
		अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा		
		12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा		
		चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं ।		

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थातु: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"</b> 10 <b>क</b>	शीर्षक	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब	कुछ	कुछ
	9954	वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित	नहीं	नहीं";
		किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग,		
		या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली		
		वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली		
		सेवाएं ।		
		•		

- (ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>~</b> 24 <b>क</b>	शीर्षक	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से	कुछ	कुछ
	9967	सेवाएं।	नहीं	नहीं" ;
	या			
	शीर्षक			
	9985			

(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षम	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान	कुछ नहीं	कुछ
	9971	अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा		नहीं
	या	शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि		
	शीर्षक	संगठन द्वारा सेवाएं ।		
	9991			
31ख	शीर्षक	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति	कुछ नहीं	कुछ
	9971	अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली		नहीं <i>"</i> ;

or शीर्षक	(एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।	
9991		

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>"</b> 34A	शीर्षक	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र	कुछ नहीं	कुछ
	9971	द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के		नहीं";
		उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या		
		पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए		
		ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की		
		जाने वाली सेवाएं ।		

- (ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: –
- (ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>%47</b> क	शीर्षक	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ
	9983	(एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों		नहीं" ;
	या	को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की		
	शीर्षक	विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।		
	9991			

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55क	शीर्षक 9986	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं" ;

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
"65ख	शीर्षक	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार	शून्य	बशर्ते कि	ं ठेका अव	धि
	9991	(ईआरसीसी) को किसी राज्य		की स	ामाप्ति प	₹,
	या कोई	सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको		ईआरसीसी	राज्य सरक	गर
	अन्य	से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का		को एक	खाता प्रस्त्	नुत

शीर्षक अधिकार सौंपने के माध्यम से और प्रमाणित करेगा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा स्पृष्टीकरण. -जीएसटी की राशि रॉयल्टी "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय एकत्र किए जाने ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान अधिकार के समनुदेशन और खनिज (विकास की सेवा पर छूट दी गई और विनियमन) अधिनियम, जीएसटी से अधिक है 1957 (1957 का 67) की धारा 3 और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी या उसके अंतर्गत बने **(**11) की ऐसी राशि छूट दी नियमो या राज्य सरकार द्वारा गई राशि से कम है, तो खनिज (विकास और विनियमन) छूट ऐसी धनराशि तक अधिनियम, 1957 (1957 सीमित होगी जो खनन की धारा 67) 15(1) पट्टाधारकों द्वारा भूगतान अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और या लाइसेंस या अन्य खनिज जीएसटी रॉयल्टी पर कन्सेशन दिया गया हो । खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।"

(ण) क्रम संख्या ७७ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	शीर्षक	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी	कुछ नहीं	कुछ
	9995	किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित		नहीं";
		निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा		
		प्रदत्त सेवाएं,-		
		(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या		
		किसान के कल्याण से संबंधित		
		गतिविधियां ; या		
		(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि,		
		कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल,		

शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ
गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का
प्रोन्नयन,
प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये
(1000/-रू०) की राशि तक सदस्यता शुल्क
के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों
हेतु ।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं०.354/13/2018 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 65 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

# [TO BE PUBLISHED IN THE GAZZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue)

#### **Notification No. 14/2018- Central Tax (Rate)**

New Delhi, the 26<sup>th</sup> July, 2018

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup>June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, -
  - (a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
  - (b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
  - (c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9D	Chapter	Services by an old age home run by Central	Nil	Nil";
	99	Government, State Government or by an entity		
		registered under section 12AA of the Income-tax		
		Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60		
		years or more) against consideration upto twenty-		
		five thousand rupees per month per member,		
		provided that the consideration charged is		
		inclusive of charges for boarding, lodging and		
		maintenance.		

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10A	Heading	Services supplied by electricity distribution	Nil	Nil";
	9954	utilities by way of construction, erection,		
		commissioning, or installation of infrastructure for		
		extending electricity distribution network upto the		
		tube well of the farmer or agriculturalist for		
		agricultural use.		

- (e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;
- (f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;
- (g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;
- (h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A	Heading	Services by way of warehousing of minor forest	Nil	Nil";
	9967 or	produce.		
	Heading			
	9985			

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading	Services by Coal Mines Provident Fund	Nil	Nil
	9971	Organisation to persons governed by the Coal		
	or	Mines Provident Fund and Miscellaneous		
	Heading	Provisions Act, 1948 (46 of 1948).		
	9991			
31B	Heading	Services by National Pension System (NPS)	Nil	Nil";
	9971	Trust to its members against consideration in		
	or	the form of administrative fee.		
	Heading			
	9991			

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading	Services supplied by Central Government, State	Nil	Nil";
	9971	Government, Union territory to their		
		undertakings or Public Sector		
		Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing		
		the loans taken by such undertakings or PSUs		
		from the financial institutions.		

- (k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after figures "36", the word and figures "or 40" shall be inserted;
- (l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading	g Services by way of licensing, registration and		Nil";
	9983 or	analysis or testing of food samples supplied by		
	Heading	g the Food Safety and Standards Authority of		
	9991	India (FSSAI) to Food Business Operators.		

(m)after serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55A	Heading	Services by way of artificial insemination of	Nil	Nil";
	9986	livestock (other than horses).		

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
"65B	Heading	Services supplied by a State	Nil	Provided that at the end of	
	9991 or	Government to Excess Royalty		the contract period, ERCC	
	any	Collection Contractor (ERCC) by		shall submit an account to	
	other	way of assigning the right to		the State Government and	
	Heading	collect royalty on behalf of the		certify that the amount of	
		State Government on the mineral		goods and services tax	
		dispatched by the mining lease		deposited by mining lease	
		holders.		holders on royalty is more	
				than the goods and	
		Explanation "mining lease		services tax exempted on	
		holder" means a person who has		the service provided by	
		been granted mining lease, quarry		State Government to the	
		lease or license or other mineral		ERCC of assignment of	
		concession under the Mines and		right to collect royalty and	

Minerals (Development where such amount of and Regulation) Act, 1957 (67 of goods and services tax 1957), the rules made thereunder paid by mining lease or the rules made by a State holders is less than the Government under sub-section (1) amount of goods and of section 15 of the Mines and services tax exempted, the (Development Minerals and exemption shall Regulation) Act, 1957. restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.";

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	Heading	Services provided by an unincorporated body or	Nil	Nil";
	9995	a non-profit entity registered under any law for		
		the time being in force, engaged in,-		
		(i) activities relating to the welfare of		
		industrial or agricultural labour or		
		farmers; or		
		(ii) promotion of trade, commerce,		
		industry, agriculture, art, science,		
		literature, culture, sports, education, social		
		welfare, charitable activities and		
		protection of environment,		
		to its own members against consideration in the		
		form of membership fee upto an amount of one		
		thousand rupees (Rs 1000/-) per member per		
		year.		

- (ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: -
  - "(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students."
- 2. This notification shall come into force with effect from 27<sup>th</sup> of July, 2018.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

(Gunjan Kumar Verma) Under Secretary to the Government of India

Note: -The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 2/2018 - Central Tax (Rate), dated the 25<sup>th</sup> January, 2018 *vide* number G.S.R. 65(E), dated the 25<sup>th</sup> January, 2018.